Subject: Prime Minister's Scholarship Scheme
Publication Dated: 04.10.2019

INDIAN RAILWAYS
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD)

PRIME MINISTER'S SCHOLARSHIP SCHEME (PMSS): 2019-20 (Post-Matric Scholarship)

Security Directorate, Railway Board, (Ministry of Railways) provides an opportunity to the dependent wards of Non-Gazetted RPF/RPSF personnel for availing scholarships under Prime Minister's Scholarship Scheme (PMSS) under the aegis of National Defence Fund for promoting higher professional and technical education. Applications are being invited for the scholarship on National Scholarship Portal for the academic year 2019-20.

TIMELINE

Last date for submission of online applications by students for fresh scholarships (first time applicants) and renewal scholarships (applicants for those who had availed fresh scholarships during 2017-18 & 2018-19) is **31st October 2019.**

ELIGIBILITY

- The applicant should be ward of Non-Gazetted RPF/RPSF personnel (serving, retired or deceased).
- The applicant should be pursuing professional or technical studies in India in Government or recognized Private University/Institute/College.
- The course being pursued should be of Minimum two year duration.
- The applicant should have secured minimum 60% Marks or equivalent Grade in Minimum Eligibility Qualification Examination.

INSTRUCTIONS

For Applicants

- Applicants are advised to apply online for PMSS on the website of National Scholarship Portal **www.scholarships.gov.in**
- Detailed Instructions for filling up online application and Frequently Asked Questions (FAQs) are available on the National Scholarship Portal homepage.
- Applicant is advised to give only active bank account details so that payment of Scholarship does not fail.

For Universities/Institutes/Colleges

- All Universities/Institutes/Colleges, where ward of RPF/RPSF personnel are studying, are requested to get themselves registered on National Scholarship Portal by 31st October through their concerned Nodal Officer failing which they will not be able to verify the scholarship application and the students would be deprived of the benefit of scholarship.

भारतीय रेल
भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

प्रधानमंत्री छात्रवृत्तिः 2019–20 (मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति)

सुरक्षा निदेशालय, रेलवे बोर्ड, (रेल मंत्रालय) द्वारा शैक्षिक वर्ष 2019–20 के लिए प्रधान मंत्री छात्रवृत्ति योजना (पीएमएसएस) के अंतर्गत राष्ट्रीय रक्षा कोष से अराजपत्रित रेलवे सुरक्षा बल/रेलवे सुरक्षा विशेष बलकर्मियों के आश्रित बच्चों को प्रोफेशनल और तकनीकी पाठ्यक्रम हेतु छात्रवृत्ति के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल **(NSP)** पर आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैंः–

समय सीमा

छात्रों द्वारा नई छात्रवृत्ति (पहली बार आवेदन करने वाले) तथा नवीनीकरण छात्रवृत्ति (वे आवेदक जिन्होंने 2017–18, 2018–19 के दौरान छात्रवृत्ति प्राप्त की) हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम **तारीख 31 अक्टूबर, 2019**

पात्रता

- आवेदक अराजपत्रित रे.सु.ब./रे.सु.वि.ब. स्टाफ (कार्यरत, सेवानिवृत अथवा स्वर्गीय) का आश्रित हो।
- वह भारत में सरकारी या मान्यता प्राप्त निजी विश्वविद्यालय/संस्थान/महाविद्यालय में प्रोफेशनल अथवा तकनीकी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हो।
- अध्ययन पाठ्यक्रम न्यूनतम दो वर्ष की अवधि का हो।
- आवेदक ने न्यूनतम अर्हता परीक्षा में 60% अंक या उसके बराबर ग्रेड प्राप्त किया हो।

निर्देश

आवेदकों के लिए

- पात्र आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल वेबसाइट–www.scholarships.gov.in पर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करें।
- ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत 'निर्देश' और 'अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ ए क्यू) पोर्टल के होमपेज पर उपलब्ध है।
- आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि केवल सक्रिय बैंक खाता का विवरण दें, ताकि छात्रवृत्ति का भुगतान विफल न हो।

विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों के लिए

- सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों, जिनमें रेलवे सुरक्षा बल कार्मिक (कार्यरत, सेवानिवृत अथवा स्वर्गीय) के आश्रित बच्चे पढ़ रहे हैं, से अनुरोध है कि 31 अक्टूबर, 2019 तक वे सभी संस्थान राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपने संबंधित नोडल अधिकारी के माध्यम से स्वयं को पंजीकृत करवा लें अन्यथा वे आवेदन को ऑनलाइन सत्यापित नहीं कर पाएंगे एवं आश्रित बच्चे छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित रह जाएंगे।